न्यायालय अपर कलेक्टर (विकास), मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं विहित प्राधिकारी बुरहानपुर

प्रकरण क्रमांक/28/सी–145(धारा 92)/2017–18 दिनांक 12.03.2018

म.प्र. शासन
द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत खकनार, ... आवेदक

विरुध्द

1. श्री प्रेमलाल बालचन्द्र, ... अनावेदगण
तत्का सचिव
2. कु. रत्ना पंवार,
ग्राम रोजगार सहायक
ग्राम पंचायत साईखेडाकला
जनपद पंचायत खकनार

(पारित आदेश दिनांक 20/9/18

प्रस्तुत प्रकरण मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत खकनार द्वारा शिकायतकर्ता श्री खुवलु बाबुराव निवासी ग्राम साईखेडाकला की शिकायत दिनांक 27.07.2016 पर प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 24.09.2016 के आधार पर म.प्र. पंचायतराज ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता श्री खुवलु बाबुराव निवासी ग्राम साईखेडाकला द्वारा एक लिखित शिकायत दिनांक 27.07.2016 को सीएम हेल्पलाईन पोर्टल पर जनसुनवाई में की गई। आवेदक द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम पंचायत साईखेडाकला में सरपंच नसीर डाबर सचिव प्रेमचंद्र, सहायक सचिव कु.रत्ना पंवार है। पंचायत में 93 शौचालय स्वीकृत हुये जिसके विरूद्ध 35 शौचालय का निर्माण किया गया। शेष कार्य नही किया गया, ग्राम पंचायत भवन भी प्रतिदिन नही खुलता। आवेदक द्वारा जांच कराने हेतु निवेदन किया गया। प्राप्त शिकायत की जांच श्री विरेन्द्रसिंह सहायक विकास विस्तार अधिकारी जनपद पंचायत खकनार द्वारा की गई। प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में अवगत कराया गया कि दिनांक 06.08.2016 को ग्राम पंचायत साईखेडाकला में गया लेकिन सचिव एवं सहायक सचिव अनुपस्थित होने के कारण पुनः दिनांक 24.08.2016 को जाकर ग्राम पंचायत सरपंच, उपसरपंच, सहायक सचिव, शिकायतकर्ता और अन्य ग्रामीणों के साथ घर–घर जाकर शौचालयों का निरीक्षण किया जाकर जांच की गई जो निम्नानुसार है:–

1. योजनान्तर्गत 93 हितग्राहियों की सूची प्राप्त हुई है जिसमें निरीक्षण उपरान्त 93 शौचालयों में से 53 पूर्ण, 28 अधूरे अपूर्ण पाये गये, अधूरें शौचालयों में से कुछ शीट लगाना, कुछ में गडढे बनाना बाकी है। रोजगार सहायक के कथन अनुसार अधूरें कार्य पूर्ण कराने के लिए 15 दिवस का समय मांगा गया है।
2. 93 शौचालयों में से 4 शौचालय विवादित होने के कारण एसडीएम खकनार में प्रकरण चल रहा है। एसडीएम साहब द्वारा हितग्राहियों द्वारा 15 दिवस में कार्य पूर्ण करने के लिए कहा गया है, लेकिन जांच के समय अधूरें ही पाये गये है। (रोजगार सहायक के कथन अनुसार)
3. 93 शौचालयों में से 8 हितग्राहियों के यहा पर शौचालय बने ही नही है ओर उसका पूर्ण भुगतान किया गया। रोजगार सहायक के कथन अनुसार इसमें एक हितग्राही देवानन्द अर्जुन के नाम से डिमांड दि गई और भुगतान भी हुआ है लेकिन शौचालय बना नही है। उनके पिता अर्जून कहते है कि ये शौचालय मैने बनायी है ओर मुझे भुगतान प्राप्त हो चुका है जबकि वास्तव में अर्जुन को भुगतान ही नही हुआ है इस प्रकार से 7 शौचालय राशि 9000/– की दर से 63000/– हो रही है।
4. शौचालय की राशि जिला पंचायत बुरहानपुर से 461862 प्राप्त हुई है। जो केश बुक अनुसार पूरी राशि शौचालय निर्माण कराने में व्यय (भुगतान) बताया गया है इसी प्रकरण मनरेगा से सभी शौचालयों की राशि भुगतान की जा चुकी है, मात्र 5 शौचालय की राशि लगभग 7360/– भुगतान होना बाकी है। (संलग्न सूची अनुसार)
5. यह कि रोजगार सहायक के अनुसार जिन शौचालयों का भौतिक सत्यापन (निरीक्षण) किया गया है। उनकी सभी की सीसी जारी की जा चूकी है।
6. रोजगार सहायक के कथन अनुसार अभी कुछ हितग्राहियों का भुगतान बाकी बताया गया है। सूची लगभग 60800/–रू. बाकी है।
7. स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत 5 शौचालय का निर्माण कराया गया है उनका भुगतान जनपद पंचायत खकनार से किया जाना बाकी है।

8. यह कि 93 शौचालयों के निरीक्षण उपरान्त पाया गया है कि 53 पूर्ण, 28 अधूरे, 4 न्यायालय में प्रकरण और 8 हितग्राहियों के यहा पर शौचालय बनी ही नही ओर पंचायत द्वारा भुगतान पूर्ण करना बताया है। इस प्रकार 93 शौचालय मे से 88 शौचालय 9000/- वाले और 5 शौचालय 12000/-रू वाले है।

उक्त भौतिक सत्यापन एवं वित्तीय सत्यापन में यह पाया गया है कि रोजगार सहायक एवं पंचायत द्वारा शौचालय निर्माण में लापरवाही एवं अनियमितता की जाना परिलक्षित हो रही है। 7 शौचालय की राशि रूपये 63000/- और जो भुगतान बाकी राशि 60800/- बताई जा रही है कुल राशि 123800/- वसूली योग्य निकल रही है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत खकनार द्वारा प्रतिवेदन दिनांक 24.09.2013 को प्रस्तुत प्रतिवेदन पर दर्ज प्रकरण के संबंध ने दिनांक 19.05.2017 को नोटीस जारी किया गया। दिनांक 30.07.2018 को प्रकरण की सुनवाई की गई।

प्रकरण की सुनवाई के समय जिला समन्वयक एसबीएम जिला पंचायत बुरहानपुर को निर्देशित किया गया कि स्वीकृत शौचालय का निरीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। दिनांक 23.08.2018 को जिला समन्वयक एसबीएम जिला पंचायत बुरहानपुर द्वारा अपूर्ण शौचालयों की सूची प्रस्तुत की गई, 1. विठठल रामदास, 2 भाकु बीबा, 3. यशंवत बलीराम, 4. सुपडया भुरा, कुल 4 शौचालय प्रगतिरत दर्शाये गये है। दिनांक 06.09.2018 को प्रकरण की सुनवाई के समय अनावेदक श्री प्रेमलाल बालचन्द्र तत्का सचिव एवं कु. रत्ना पंवार तत्का ग्राम रोजगार सहायक द्वारा जवाब प्रस्तुत किया । प्रस्तुत जवाब में उल्लेख किया गया ग्राम पंचायत साईखेडाकला में मेरे कार्यकाल के स्वीकृत शौचालयों में 03 अपूर्ण शौचालयों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है, 1. श्री भाकु पिता बीबा, 2. श्री सुपडया पिता भूरा, 3. श्री यशवंत पिता शालिकराम के शौचालय निर्माण की फोटो एवं सरपंच से सत्यापित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। श्री विठठल रामदास का शौचालय निर्माण कार्य जो जिला समन्वयक एसबीएम जिला पंचायत बुरहानपुर द्वारा प्रगति पर दर्शाया गया है कि उक्त शौचालय निर्माण के संबंध में कोई कार्यवाही नही की गई ना ही प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया।

उक्त आधारो पर पाया जाता है कि श्री विठठल रामदास ग्राम साईखेडाकला का शौचालय निर्माण कार्य की राशि आहरित कर कार्य पूर्ण ना कराया जाकर श्री प्रेमलाल बालचन्द्र तत्का सचिव एवं कु. रत्ना पंवार तत्का ग्राम रोजगार सहायक ग्राम साईखेडाकला का यह कृत्य वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है।

श्री विठठल रामदास ग्राम साईखेडाकला का शौचालय निर्माण की 12000/-रू. राशि वसूली योग्य है जो श्री प्रेमचन्द्र बालचन्द्र तत्का सचिव 6000/-रू एवं कु. रत्ना पंवार तत्का ग्राम रोजगार सहायक 6000/-रू. एक सप्ताह में कार्यालय जनपद पंचायत खकनार में जमा कर जमा रसीद प्रस्तुत करें।

राशि जमा ना कराने पर मध्यप्रदेश पंचायतराज ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 (2) के तहत सिविल जेल भेजा जावेगा।

आदेश खुले न्यायालय में पारित एवं उद्घोषित किया गया।

(शैलेन्द्र सिंह)
IAS
विहित प्राधिकारी
अपर कलेक्टर(विकास) एवं
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत बुरहानपुर

प्रतिलिपि,

1. जिला पंचायतराज अधिकारी, जिला पंचायत बुरहानपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत खकनार की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. जिला समन्वयक, एसबीएम जिला पंचायत बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही कार्यवाही हेतु अनावेदक तत्का सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक द्वारा अपने जवाब में अवगत कराया गया कि मेरे समय के शौचालय का निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया गया है, ग्राम पंचायत साईखेडाकला में उक्त शौचालय के अतिरिक्त अन्य शौचालय यदि अपूर्ण है तो स्थल निरीक्षण कराकर एक माह मे पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
4. संबंधित ....की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

विहित प्राधिकारी
अपर कलेक्टर(विकास) एवं
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत बुरहानपुर